

	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404 Website: www.ukpsc.gov.in	 	(01334) 244143 (01334) 244282 07060002410
			विज्ञापन संख्या :-A-5/E-2/CJ-JD/2021

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0), परीक्षा 2021

{Uttarakhand Judicial Service Civil Judge (Junior Division) Exam- 2021}

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	-	31 दिसम्बर, 2021
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	-	20 जनवरी, 2022 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश :-

1.	अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
2.	अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 20 जनवरी, 2022 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह मानी जायेगी, जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date) के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।
3.	अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4.	फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
5.	आयोग में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों यथा:- पदनाम, अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, विषय, आयु एवं परीक्षा केन्द्र इत्यादि में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6.	अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा के आयोजन हेतु नगरों की सूची के लिए परिशिष्ट-01 , परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट-02 तथा आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट-03 का अवलोकन करें।
7.	मुख्य परीक्षा (लिखित प्रकार) से पूर्व अर्ह अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किये गये अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा कराया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।
8.	अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा करना सुनिश्चित करें।
9.	प्रारम्भिक परीक्षा होने की दशा में अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा की तिथि की सूचना तथा मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायी जायेगी।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिविजन), परीक्षा- 2021 हेतु पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तानुसार आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 20 जनवरी, 2022 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन-पत्र अत्यधिक संख्या में प्राप्त होने की दशा में **परिशिष्ट-01** में उल्लिखित शहरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एक प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन **माह मार्च, 2022** में किया जाना प्रस्तावित है। प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा का आयोजन हरिद्वार नगर के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा। रिट याचिका संख्या- 163(एस0/बी0)2007, मलिक मजहर सुल्तान बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड व अन्य के मामले में माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.2008 को पारित निर्देशों के अनुसार आयोग प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों के "कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान" के परीक्षण हेतु एक प्रायोगिक परीक्षा भी आयोजित करेगा।

प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार परक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट तथा दैनिक समाचार-पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

02. रिक्तियों का विवरण :- सिविल जज (जू0डि0) पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या **13** है। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है :-

क्र0सं0	श्रेणी	पद	क्षैतिज आरक्षण
			उत्तराखण्ड महिला (30%)
01.	अनारक्षित	11	03
02.	अनुसूचित जाति	00	-
03.	अनुसूचित जनजाति	00	-
04.	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	-
05.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	-
कुल :-		13	03

03. पद का स्वरूप :-राजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त (समूह-‘ख’)।

04. वेतनमान् :-27,700-770-33,090-920-40450-1080-44770 (मूल वेतन के साथ 30 प्रतिशत अन्तरिम राहत अनुमन्य है।)

05. अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं :-सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को-

(क) उत्तराखण्ड में विधि द्वारा स्थापित अथवा इस निमित्त राज्यपाल द्वारा मान्य भारत के किसी विश्वविद्यालय का विधि स्नातक।

(ख) देवनागरी लिपि में हिन्दी का सम्यक् ज्ञान।

(ग) कम्प्यूटर संचालन का आधारभूत ज्ञान।

05. Essential Educational Qualifications :- A Candidate for direct recruitment to the Service be :

(a) A Bachelor of Law form a University established by Law in Uttarakhand or by other University of India recognized for this purpose by the Governer.

(b) Must possess thorough knowledge of Hindi in Devnagri script.

(c) Basic Knowledge of Computer operation.

06. आयु :- आयु गणना की विनिश्चयक तिथि 01 जुलाई, 2021 है। इस तिथि को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 22 वर्ष तथा अधिकतम आयु 36 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1985 या इससे पूर्व तथा 01 जुलाई, 1999 के बाद का नहीं होना चाहिए।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ायी जायेगी जैसा कि विहित किया जाये।

07. अधिकतम आयु सीमा में छूट:- विभिन्न श्रेणियों/उप-श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय-समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट सम्बन्धी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाईट देखें।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या- 264/XXX(2)/2021-30(10)2019, दिनांक 27 अगस्त, 2021 द्वारा सीधी भर्ती के समूह ‘ख’ के पदों पर चयन के सम्बन्ध में एक बार के लिए अभ्यर्थियों को अधिकतम आयुसीमा में एक वर्ष की छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार बिन्दु-06 में अधिकतम आयु 36 वर्ष रखी गयी है।

08. उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी/उप श्रेणी की सूचना प्रदान करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

09. यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

10. आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें। निर्धारित प्रारूप विज्ञापन के परिशिष्ट-03 में उल्लिखित हैं।

11. राष्ट्रीयता :-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यामार (पूर्व बर्मा), श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, यूगांडा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन किया हो):

परन्तु उपरोक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए भी पुलिस महानिरीक्षक महानिदेशक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण:—ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जिसके लिए पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न ही देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है किन्तु शर्त यह है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

12. चरित्र :- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी विषयमें स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी— संघ, सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्ध-दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

13. वैवाहिक प्रास्थिति—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक या अधिक पत्नी जीवित हो;

परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

14. शारीरिक योग्यता— किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिससे उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भवाना हों। किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे आयुर्विज्ञान परिषद् स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

15. आरक्षण :-उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा। ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही

अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in देखें।

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनाथ, पूर्व सैनिक, निःशक्त (विकलांग), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (डी0एफ0एफ0) तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(ख) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के "परिशिष्ट-3" में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ मुख्य (लिखित) परीक्षा से पूर्व आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख "परिशिष्ट-3" में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर मुख्य (लिखित) परीक्षासे पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

(ग) आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या-310/XVII-2/16-02(OBC)/2012, दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये।

16. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया

(1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in या <https://ukpsc.net.in> पर जायें।

(2) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात् <https://ukpsc.net.in> पर जाकर **MenuBar** में **Apply Now** लिंक पर क्लिक करें। **Apply Now** page पर Instructions for filling up online application form को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात् **Apply Now** पर क्लिक करें।

(3) **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् खुले **Registration** फॉर्म पर अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Continue** पर क्लिक करें। **Continue** पर क्लिक करने के पश्चात् फॉर्म पर भरी जानकारी Confirm Filled Information फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें।

यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा

No, I want to change some details पर **Tick** कर **Edit Data** पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फार्म **Submit** करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

(4) **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् स्क्रीन पर **Primary Registration** पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered** **Mobile No** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर **Click here to login** के लिंक पर क्लिक करें।

(5) **Login** करने के पश्चात् **Educational Details** पर क्लिक कर फॉर्म पर **Educational Qualifications** के अन्तर्गत **High School, Intermediate, Graduation, etc** का विवरण भरकर **Add Education Details** पर क्लिक करें। भरी हुई Education का विवरण **Add Education Details** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। एक से अधिक Education का विवरण भरने की स्थिति में **Clear** पर क्लिक कर **Graduation** में **Qualification Type** में पुनः **Graduation** का चयन कर विवरण भरकर **Add Education Details** पर क्लिक करें। इसी प्रकार फार्म में प्रदर्शित प्रविष्टियां भरकर **Submit** बटन पर क्लिक करें।

(6) तत्पश्चात् दी गयी **Warning** का सम्यक अध्ययन कर **Continue** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् **Upload Images** पर क्लिक कर **Photo** एवं **Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo** एवं **Signature** के अपलोड होने के पश्चात् फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा, घोषणा को **Tick** करने के बाद **Click here for Final Submission** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् **Print Application Form** पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन का प्रिंटआउट प्राप्त करें।

(7) **Final Submission** के उपरान्त आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। आवेदन रद्द (Cancel) करने के लिए **Login** कर **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Proceed to Cancel** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Back** बटन पर क्लिक करें। **Proceed to Cancel** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसको की **Enter OTP** वाली फील्ड पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द (cancel) करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(8) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

नोट :1 **Final Submission** किये जाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी **Email-Id/Mobile Number** एवं **Password** के माध्यम से **Login** करने के पश्चात् **Update Personal Information** पर क्लिक कर, **Personal Information**, **Update Educational Information** पर क्लिक कर, **Educational Qualification** एवं **Reload Images** पर क्लिक कर, **Photo** एवं **Signature** को पुनः अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर को **Edit/Update** नहीं किया जा सकता। ऑनलाईन आवेदन करते समय उत्पन्न तकनीकी समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी **ukpschelpine@gmail.com** पर ई-मेल कर सकते हैं।

2 **Final Submission** के पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

17. **शुल्क** :- उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या : 332/XXX(2)/2021/55(35)/2003 दिनांक 03 अक्टूबर, 2021 द्वारा कोविड-19 से रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु लिए जाने वाले शुल्क के व्यय भार से आवेदकों को मुक्त करने हेतु दिनांक 31.03.2022 तक आवेदन शुल्क न लिए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत परीक्षा में आवेदकों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

18. **अभ्यर्थियों के लिए मुख्य लिखित परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) के विषय में कुछ सूचनाएं :-**

(1) प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित किये जाने की दशा में, प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही मुख्य लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित किए जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्रारम्भिक परीक्षा एवं "कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा" के प्राप्तांक मुख्य लिखित परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) के प्राप्तांक में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

(2) मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थियों को यथासमय ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अनुभव, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ पृथक से विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी।

(3) **THE UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION (PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS) RULES- 2013 के CHAPTER-IV के बिन्दु संख्या- 22(9) में निम्नवत् उल्लेख है :-**

"The Candidates who fail to produce required certificate/certificates on the date of interview (or as directed by the Commission) shall not be allowed to appear at the interview and their candidature shall stand rejected"

उक्त के क्रम में किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व तक ऑनलाईन आवेदन में दावित किये गये समस्त प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है।

(4) साक्षात्कार से पूर्व किसी भी स्तर पर आवेदन-पत्र/प्रमाण-पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे लिखित परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी।

(5) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा—

(i) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर केवल निर्धारित स्थान पर ही अंकों एवं शब्दों में अनुक्रमांक लिखेंगे। यदि अभ्यर्थी अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग करता है तो उसके आवरण पृष्ठों पर ऊपर दाहिनी ओर शीर्ष पर अनुक्रमांक लिखेंगे। प्रश्नोत्तर में, यदि नाम या पता लिखना जरूरी हो तो नाम के लिए XYZ अथवा 'अबस' एवं पता के स्थान पर ABC अथवा 'कखग' लिखेंगे। प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कोई असंगत, अप्रासंगिक तथा अवांछनीय बात लिखने पर आयोग अपने विवेकानुसार अभ्यर्थी को दण्डित कर सकता है।

(ii) प्रश्न-पत्र दिये गये निर्देशों के अनुसार ही हल करें। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्न हल किये जाते हैं तो प्रारम्भ से लेकर निर्धारित संख्या तक कुल किये गये प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जायेगा और शेष की उपेक्षा की जायेगी। यदि किसी प्रश्नोत्तर को आपके द्वारा काटा जाता है तो काटने के बाद उसके नीचे यह अवश्य लिखा जाए कि उत्तर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है और उसका मूल्यांकन न किया जाए।

(iii) अभ्यर्थी प्रश्न-पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में या हिन्दी देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, परन्तु भाषा के प्रश्न-पत्रों का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना आवश्यक है। किसी एक ही प्रश्न-पत्र के कुछ प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी और कुछ का हिन्दी में लिखना अथवा एक ही प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में लिखना वर्जित है, अर्थात् प्रश्न पत्र का सम्पूर्ण रूप में, उपर्युक्त में से किसी एक भाषा में उत्तर देना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार प्राविधिक शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में किया जा सकता है। मिश्रित भाषा में उत्तर देने पर अंकों में कटौती की जा सकती है।

(iv) अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के बीच में खाली पृष्ठों को (यदि कोई हो) "क्रास" करेंगे तथा प्रयोग की गयी कुल उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या मुख्य उत्तर-पुस्तिका के प्रथम आवरण पृष्ठ पर लिखेंगे, जिन्हें कक्ष निरीक्षकों द्वारा चेक किया जायेगा।

(v) प्रश्न पुस्तिका के पन्ने के दोनों ओर लिखें। उत्तर-पुस्तिका से कोई पन्ना न फाड़ें। यदि किसी पृष्ठ पर रफ कार्य (Rough Work) किया जाए या कोई उत्तर भूल से लिखा जाए तो उसे आर-पार रेखाएं खींच कर काट दें, किन्तु पन्ना कदापि न फाड़ें।

(vi) उत्तर लिखने में अनुदेशों का उल्लंघन करने पर दण्डस्वरूप निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी—

(1) पेन्सिल से लिखे गये उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(2) मिश्रित भाषा का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 5 प्रतिशत अंक की कटौती की जायेगी।

(3) प्रश्न संख्या न लिखने अथवा गलत लिखने पर 01 अंक, प्रश्न का खण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/2 अंक तथा प्रश्न का उपखण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

(4) उत्तर पुस्तिका में असंगत/धार्मिक चिह्न/आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग करने पर 01 अंक की कटौती की जायेगी।

- (5) उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर एक या अनेक बार अनुक्रमांक अथवा नाम लिखने पर 02 अंकों की कटौती की जायेगी।
- (6) उत्तर पुस्तिका में नाम और अनुक्रमांक दोनों एक साथ एक बार या अनेक बार लिखने पर 03 अंकों की कटौती की जायेगी।
- (7) उत्तर पुस्तिका में अप्रसांगिक बातें लिखने तथा अनुक्रमांक और नाम तीनों एक साथ लिखने पर 04 अंकों की कटौती की जायेगी।
- (8) उत्तर पुस्तिका में परीक्षक से अपील/अनुरोध करने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।
- (9) उत्तर पुस्तिका में असंगत/अप्रासांगिक बातें लिखने तथा अनुक्रमांक एवं नाम और परीक्षक से अपील (अनुरोध/अनुनय/अभ्यर्थना) करने सहित चारों को एक साथ, एक या अनेक बार लिखने पर 05 अंक की कटौती की जायेगी।
- (10) प्रश्न के उत्तर के रूप में पत्र लेखन में नाम के स्थान पर XYZ या 'अबस' एवं पते के स्थान पर ABC या 'कखग' के अलावा काल्पनिक अथवा वास्तविक नाम एवं पता लिखने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।
- (11) उत्तर लिखने में नीली अथवा काली स्याही के अतिरिक्त अन्य रंग की स्याही का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 02 अंक की कटौती की जायेगी।
- (6) अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक नोट कर लें कि मुख्य लिखित परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर परीक्षा में बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवंटित किया गया है। आयोग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित न किये जाने की दशा में अभ्यर्थियों को अनुक्रमांक बाद में आवंटित किये जायेंगे।
- (7) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।
- (8) अभ्यर्थियों को व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) के समय या व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) से पूर्व आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप पर आवेदन-पत्र एवं अन्य प्रपत्र को भरना होगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण कराना होगा तथा स्वप्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।
- (09) **उत्तर कुंजी आपत्ति :-** प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। **निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।** अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो वैसे अभ्यर्थी द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों

की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(10) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) पद्धति अपनायी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिए गए उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए दिए जाने वाले अंकों का एक चौथाई दण्ड के रूप में काटा जाएगा। दण्ड स्वरूप प्राप्त अंकों के योग को कुल प्राप्तांक में से घटाया जाएगा।

(11) **न्यूनतम अर्हक अंक** :- उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2011 के प्राविधानानुसार लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक या तत्समान श्रेणी, यदि कोई हो, प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे, परन्तु यह कि लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत या उससे अधिक अंक या तत्समान श्रेणी, यदि कोई हो, प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

ऐसे अभ्यर्थी जो कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करेंगे, उनकी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(12) मुख्य लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार/उप श्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों को मैरिट के आधार पर सफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।

(13) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवानियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(14) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** एवं प्रथम संशोधन-2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012 यथा संशोधन 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन) एवं 2016 (चतुर्थ संशोधन) आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

(15) ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख/प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में मुख्य (लिखित) परीक्षा से पूर्व आयोग कार्यालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त किए जायेंगे।

आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny), उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2019 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अभ्यर्थी ध्यान रखें कि मुख्य (लिखित) परीक्षा के पूर्वतत्समय आवेदन-पत्र/प्रमाण-पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(16) रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु मुख्य (लिखित) परीक्षा के पूर्व प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित करायी जा सकती है।

(17) अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।

(18) यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई-मेल ukpschelpine@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

(19) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा में बुलाये जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा के लिए बुलाये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता है। प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा कराये जाने की दशा में एक सामान्य अध्ययन तथा विधि (Law) की वस्तुनिष्ठ प्रकृति का प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी। प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(20) स्क्रीनिंग/प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) उत्तराखण्ड राज्य के अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, हल्द्वानी (नैनीताल), खटीमा (ऊधमसिंहनगर), रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर), पिथौरागढ़, देहरादून, गोपेश्वर, हरिद्वार, नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल), रूद्रप्रयाग, श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) एवं उत्तरकाशी नगरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

(21) गलत उत्तरों के लिए दण्ड- वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा।

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही उनमें से कोई उत्तर सही क्यों न हो तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा तथा इस हेतु दण्ड स्वरूप संबंधित प्रश्न का एक चौथाई अंक काटा जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(22) प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

(23) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

(24) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(25) परीक्षा केन्द्र में आचरण – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर-पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(26) अँगूठे का निशान (Thumb Impression)– सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(27) प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा (यदि आयोजित होती है तो) में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के सापेक्ष नियमानुसार अभ्यर्थियों को मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जायेगा। प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक, अंतिम चयन परिणाम में मुख्य (लिखित) परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा के अंकों के साथ नहीं जोड़े जायेगे तथा अंतिम चयन

परिणाम मुख्य (लिखित) परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर नियमानुसार (आरक्षण आदि का लाभ देते हुए) घोषित किया जायेगा। प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।

(28) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, वैसी दशा में ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(29) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(30) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(31) हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(32) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** यथा संशोधित -2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(33) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:- अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें अथवा जाली प्रलेख प्रस्तुत नहीं करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति पायी जाती है तो इस विसंगति के संबंध में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

(34) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा:—1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसीमहत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाण-पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (ग) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (घ) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ङ) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (च) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (छ) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(35) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम,

रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(36) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(37) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।

(38) अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in का समय-समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(39) सम्बन्धित पदों हेतु परीक्षा/चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा तथा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

(40) अभ्यर्थी प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा के दौरान, अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लिखित आई0डी0 अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(41) अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

-Sd-
(कर्मन्द् सिंह)
सचिव

परिशिष्ट-1

“उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0), परीक्षा 2021” हेतु प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा का आयोजन राज्य के 14 नगरों में करायी जानी प्रस्तावित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र के सम्बन्धित कॉलम में परीक्षा केन्द्र के लिए नगर के सम्बन्ध में अपना विकल्प प्रस्तुत करें। नगरों की सूची इस प्रकार है—

S.No.	CITY	CITY CODE
1.	Almora	01
2.	Bageshwer	02
3.	Champawat	03
4.	Haldwani	04
5.	Khatima	05
6.	Rudrapur	06
7.	Pithoragarh	07
8.	Dehradun	08
9.	Gopeshwer	09
10.	Haridwar	10
11.	New Tehri	11
12.	Rudraprayag	12
13.	Srinagar	13
14.	Uttarkashi	14

नोट 1:— आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अथवा अभ्यर्थियों की संख्या न्यून होने की दशा में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किये जा सकते हैं। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों हेतु मुख्य परीक्षा का आयोजन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जायेगा।

परिशिष्ट-2

परीक्षा योजना:—प्रतियोगिता परीक्षा में कमवार तीन स्तर सम्मिलित हैं यथा (1) प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) (2) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) (परम्परागत प्रकार की) (3) मौखिक परीक्षा (व्यक्तित्व परीक्षा)।

टिप्पणी:— प्रारम्भिक परीक्षा आवेदकों की संख्या विज्ञापन में उल्लिखित रिक्तियों के अनुपात में बहुत अधिक होने की स्थिति में ही आयोग के निर्णय के अनुसार आयोजित होगी। इस परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य लिखित परीक्षा व साक्षात्कार (व्यक्तित्व परीक्षण) के प्राप्तांकों के साथ नहीं जोड़े जायेंगे।

(1) प्रारम्भिक परीक्षा के लिए निर्धारित विषय एवं पाठ्यक्रम

प्रारम्भिक परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्र होगा जिनके उत्तर पत्रक ओ0एम0आर0 शीट के रूप में होंगे। प्रश्न पत्र हेतु निर्धारित समय तीन घण्टे है। प्रश्न-पत्र में भाग- एक सामान्य ज्ञान हेतु 50 अंक तथा भाग- दो विधि हेतु 150 अंक नियत है। पाठ्यक्रम निम्नवत् है:—

भाग-1 :- सामान्य ज्ञान :- भारत और विश्व की विशेषकर विधि जगत में घटित होने वाली दिन-प्रतिदिन की घटनायें सम्मिलित की जायेगी। प्रश्न मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय विधि, तटस्थता, नवीनतम लागू विधान विशेषकर भारतीय संविधान, विधि और विकास तथा विधिक मामले परन्तु ये यही तक ही सीमित नहीं होंगे।

भाग-2 :- इसमें निम्नलिखित अधिनियम एवं विधियां सम्मिलित होगी :- सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, हिन्दू विधि के सिद्धान्त व मुस्लिम विधि के सिद्धान्त, साक्ष्य अधिनियम, दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता, सिविल (दीवानी) प्रक्रिया संहिता।

(2) मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित विषय एवं पाठ्यक्रम

परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे तथा प्रत्येक विषय के कुल अंक उसके सम्मुख दर्शाये गये हैं :-

1.	वर्तमान परिदृश्य (Present Day)	150	अंक
2.	भाषा (Language)	100	अंक
3.	विधि प्रश्न पत्र- I (मुख्य विधि) (Substantive Law)	200	अंक
4.	विधि प्रश्न पत्र- II (प्रक्रिया और साक्ष्य) (Evidence and Procedure)	200	अंक
5.	विधि प्रश्न पत्र- III (राजस्व और दण्ड) (Revenue and Criminal)	200	अंक
6.	For Basic Knowledge of computer Operation Practical Examination	100	अंक
7.	व्यक्तित्व परीक्षा (VIVA VOCE)	100	अंक

मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) का पाठ्यक्रम निम्नवत् है :-

1. **वर्तमान परिदृश्य :-** यह प्रश्न पत्र भारत और विश्व में वर्तमान में क्या घटित हो रहा है, पर अभ्यर्थियों के ज्ञान की प्रतिक्रिया के परीक्षण के लिए है। सामान्यतया वर्तमान परिदृश्य में विशेष रूप से विधिक क्षेत्र की और उसकी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने वाले प्रश्नों के उत्तर सरल प्रकृति के होंगे जो मुख्यतया विधिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय विधि, तटस्थता, नवीनतम विधायन एवं विशेष रूप से भारतीय संवैधानिक विधि और विकास पर आधारित होंगे।
2. **भाषा :-** अंग्रेजी का एक प्रस्तर प्रस्तुत किया जायेगा और अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे उसका अनुवाद न्यायालयों में बोली जाने वाली सामान्य भाषा देवनागरी लिपि में करें।
..... 30 अंक

उसी प्रकार हिन्दी के एक प्रस्तर की सामान्य अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने की अपेक्षा की जायेगी।
..... 30 अंक

साथ ही साथ एक अंग्रेजी लेखन (English Precise Writing) की भी परीक्षा होगी।

..... 40 अंक

3. **विधि प्रश्न पत्र-I (मुख्य विधि) :-** संविदा विधि, भागीदारी विधि, सुखाचार और अपकृत्य विधि से सम्बन्धित विधि, सम्पत्ति के अन्तरण से सम्बन्धित, जिसमें साम्य का सिद्धान्त भी सम्मिलित है, साम्य का सिद्धान्त न्यास और विनिर्दिष्ट अनुतोष, हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि के विशेष संदर्भ तक प्रश्न पत्र सीमित होगा।
4. **विधि प्रश्न पत्र- II (प्रक्रिया और साक्ष्य) :-** इसमें साक्ष्य विधि, दण्ड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसमें अभिवचन के सिद्धान्त भी सम्मिलित है, का क्षेत्र समाहित होगा। प्रश्न पत्र में मुख्यतया व्यावहारिक मामलों, जैसे आरोप और विवाद्यक बनाना, साक्षियों से साक्ष्य ग्रहण करने का तरीका, निर्णय लिखना और मामलों को सामान्यतया व्यवहृत करना आदि होगा परन्तु यह इन्हीं विषयों तक सीमित नहीं होगा।
5. **विधि प्रश्न पत्र- III (राजस्व और दाण्डिक) :-** उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम (जैसा कि उत्तराखण्ड में लागू है) तथा भारतीय दण्ड संहिता।
टिप्पणी :- अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा होगी कि वह विधि के समस्त प्रश्न पत्रों के उत्तर देते समय नवीनतम निर्णय तथा महत्वपूर्ण मामलों को उनमें उल्लिखित करें।

(3) For Basic Knowledge of computer Operation Practical Examination:

Microsoft Windows Operating system and Microsoft Office

Maximum Marks – 100

Minimum Qualifying Marks to be obtained – 40

Time allowed: One Hour

The paper shall be set from the given syllabus broadly taking one question from each i.e. - (1) Windows and internet. (2) M.S. - word. (3) M.S. - Access. (4) M.S. - Excel and (5) M.S. - Power Point. Each question shall have five actions to be performed on the system each having four marks. Printout of the output shall be taken and given for evaluation.

(4) **व्यक्तित्व परीक्षा (VIVA VOICE)**

100 अंक

व्यक्तित्व परीक्षा :- न्यायिक सेवा में सेवायोजन के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता उसके विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के अभिलेखों और उसके बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के सन्दर्भ में देखी जायेगी। उसके सम्मुख जो प्रश्न रखे जायेंगे वह सामान्य प्रकृति के होंगे और यह आवश्यक नहीं होगा कि वे शैक्षिक अथवा विधिक प्रकृति के ही हों।

टिप्पणी :- (1) व्यक्तित्व परीक्षा में प्राप्त अंक, मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।

(2) आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह किसी अभ्यर्थी को, जिसने विधि प्रश्न पत्रों में निर्धारित अंक प्राप्त न किये हों, जैसा व्यक्तित्व परीक्षण में आमंत्रित करने के लिए आवश्यक हों अथवा देवनागरी लिपि में हिन्दी लेखन का पर्याप्त ज्ञान न हो, व्यक्तित्व परीक्षा के लिए आमंत्रित करने से मना कर सकते हैं।

Appendix-2

Examination Plan and Syllabus for the Examination.

(1) For Preliminary written Entrance (Screening) Examination:

The preliminary written entrance examination paper will be divided into two parts.

Part-I will contain 50 marks and Part-II will contain 150 marks. There will be objective type test on the following subjects:-

Part-I :- **General Knowledge.** It will include day to day happenings around India and the World, particularly in the legal spheres. The questions may relate mainly to international law, neutrality, recent legislation pronouncement particularly Indian Constitution, law and development and legal aspects but it will not be confined to this only.

Part-II :- It will cover the following Acts and Laws – Transfer of Properties Act, Principle of Hindu Laws and Principle of Muslim Laws, Evidence Act, Code of Criminal Procedure, Indian Penal Code, Civil Procedure Code.

(2) For Main written Examination and Viva-voice Examination (Interview):

The examination will include the following subjects; each subject will carry the number of mark shown against it:

Subject	Mark
1- The Present Day	150
2- Language	100
3- Law: Paper I - Substantive Law	200
4- Law: Paper II - Evidence & Procedure	200
5- Law: Paper III - Revenue & Criminal	200
6- For Basic Knowledge of computer Operation Practical Examination	100
7- Viva-Voice	100

- (1) The Present Day -** This paper is designed to test the candidate's knowledge of the reactions to what is happening in India and the world generally at the present day, particularly in the legal sphere and also his power of expression in English. Questions, the answers to which should be in essay form will relate mainly to jurisprudence, international law, neutrality, recent legislation, particularly- Indian constitutional law and developments, especially on their legal aspect and so on but will not be confined to them. Credit will be given both for

substance and expression; conversely deduction will be made for bad expression, including faults of grammar, misuse of words etc.

- (2) **Language -** A passage in English will be set and the candidate will be required to translate it into the ordinary language spoken

in the courts, using the Devnagri Script ----- Marks 30

Likewise a passage of Hindi will be required

to be translated in ordinary English language. ----- Marks 30

There will be English Précis writing also. ----- Marks 40

- (3) **Law: Paper I-Substantive Law -** The questions set will be restricted to the field covered by- The law of contracts; the law of partnership; the law concerning casements and torts; the law relating to transfer of property; including the principles of equity specially applicable thereto; the principles of equity, with special reference to the Law of Trust and specific relief. Hindu Law and Mohammedan Law.

- (4) **Law: Paper II - Evidence and Procedure -** The field will be that covered by the Law of Evidence, The Criminal Procedure Code and Code of Civil Procedure, including the principles of pleading. The questions set will relate mainly to practical matters; such as the framing of charges and issues the methods of dealing with the evidence of witness, the writing of judgment and the conduct of cases generally but will not be restricted to them.

- (5) **Law: Paper III- Revenue & Criminal -** U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act (as applicable in Uttarakhand) and Indian Penal Code.

(3) **For Basic Knowledge of computer Operation Practical Examination:**

Microsoft Windows Operating system and Microsoft Office Maximum Marks – 100
Minimum Qualifying Marks to be obtained – 40 Time allowed: One Hour

The paper shall be set from the given syllabus broadly taking one question from each i.e. - (1) Windows and internet. (2) M.S. - word. (3) M.S. - Access. (4) M.S. - Excel and (5) M.S. - Power Point. Each question shall have five actions to be performed on the system each having four marks. Printout of the output shall be taken and given for evaluation.

- (4) **Viva-Voice-** 100 Marks

The suitability of the candidate for employment in the Judicial Service will be tested with reference to his record at School, College and University and his personality, address and physique. The questions which may be put to him may be of a general nature and will not necessarily be of an academic or legal nature.

- NOTE:** - (i) The marks obtained in viva-voice will be added to the marks obtained in the written papers and the candidates place will depend on the aggregate of both.
- (ii) The Commission reserve the right to refuse to call for viva-voice and candidate who has not obtained such marks in the Law Papers as to justify such refusal.

परिशिष्ट-03

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
.... तहसील नगर जिला उत्तराखण्ड के
राज्य की पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित
जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि
उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की
अनुसूची-2 से अधिसूचना संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा
संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के
ग्राम तहसील नगर जिला
...में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी

मजिस्ट्रेट/उप जिला
मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण
अधिकारी।

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ०प्र० पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
..... तहसील नगर जिला उत्तराखण्ड की
.....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर
संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ०प्र०) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी
है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारीतथा अथवा उनका
परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम तहसील नगरजिला
..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पूरा नाम

मुहर : पदनाम

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/
उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....वर्ष.....हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मुहल्ला.....
पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड.....
उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है।
इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष.....की औसत आय आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख (रुपये आठ लाख) से कम है और इनका
परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :-

- (I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
- (II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
- (III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
- (IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि.....जाति से हैं
और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा
वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर
नाम.....
पदनाम.....

आवेदक का नवीनतम
पासपोर्ट साइज का
प्रमाणित फोटो